म.प्र. निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग, भोपाल

मध्यप्रदेश शासन

M.P. PRIVATE UNIVERSITY REGULATORY COMMISSION, BHOPAL

Government of Madhya Pradesh

क्र. क्रमांक 1370 म.प्र.नि.वि.वि.वि.आयोग / स्थापना / भोपाल दिनांक 26.07.21

/ / आदेश / /

मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम 2007 यथासंशोधित 2013 एवं 2016 की धारा 9 (ख) में विनिर्दिष्ट प्रावधानों के अंतर्गत **मंगलायतन विश्वविद्यालय, रिछाई, ग्राम बरेला, जबलपुर** शैक्षणिक सत्र 2021–22 से प्रस्तावित नवीन पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु यू.जी.सी., मानक संस्थाओं एवं संबंधित विनियमक परिषदों के मापदण्डों के अनुरूप आवश्यक मुलभूत सुविधाओं एवं अधोसंरचना, शैक्षणिक/गैर शैक्षणिक स्टॉफ की उपलब्धता के भौतिक सत्यापन हेतु गठित निरीक्षण समिति द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन एवं आयोग की सभा की 168 वीं बैठक में किए गए अनुमोदन के आधार पर **मंगलायतन विश्वविद्यालय, रिछाई, ग्राम बरेला, जबलपुर को निम्नलिखित पाठ्यक्रमों को उनके नाम के सम्मुख अंकित सीट संख्या अनुसार संचालित करने की अनुमति** निम्न शर्तों के अध्यधीन प्रदान की जाती है।

Permission for Conduction of New Courses to from Session 2021-21

S. No.	Subject	Course	Intake
1	Computer Application	Bachelor of Computer Applications (BCA)	40
2		Master of Computer Applications (MCA)	40
3		Master of Computer Applications (MCA) –Lateral Entry	40
4	Agriculture	**M.Sc. Agriculture (Agricultural Economics)**	20
5		M.Sc. Agriculture (Agribusiness)	20
6		M.Sc. Agriculture (Entomology)	20
7		M.Sc. Agriculture (Genetics & Plant Breeding)	20
8		M.Sc. Agriculture (Agriculture Microbiology)	20
9		M.Sc. Agriculture (Soil Science and Agriculture Chemistry)	20
10		M.Sc. Agriculture (Plant Pathology)	20
11	Horticulture	**M.Sc. Ag. Horticulture - Fruit Science**	20
12		M.Sc. Ag. Horticulture – Floriculture	20
13		M.Sc. Ag. Horticulture - Vegetable Science	20
14	Forestry	**M.Sc. Forestry (Agro-forestry)**	20
15		M.Sc. Forestry (Medicinal and Aromatic Technology)	20
16		M.Sc. Forestry (Mushroom Technology)	20

शर्तें:–

1. आई.सी.आर./यू.जी.सी./ए.आई.सी.टी.ई./के प्रावधानों एवं मापदण्डों के अनुसार नियुक्त शैक्षणिक स्टाफ की प्रमाणित सूची उपलब्ध करायी जाना अनिवार्य होगा।
2. पाठ्यक्रमों में प्रवेशित विद्यार्थियों की सूची प्रवेश की अंतिम तिथि के एक माह पश्चात विश्वविद्यालय की वेबसाइट एवं आयोग के पोर्टल पर अपलोड कराना अनिवार्य होगा।

निरंतर..2

कार्यालय: ज्ञान वाटिका, कलेरी रोड, कोलियापहाड़ी डैम के सामने भोपाल – 462016 (म.प्र.) ई-मेल : Sec.mppurc@gmail.com वेबसाइट : [illegible] फोन : 0755-[illegible]

Office : Gyan Vatika, Warri Road, Opposite Kaliyasot Dam, Bhopal - 462016 (M.P.) Email: Sec.mppurc@gmail.com, Website : [illegible] Phone : [illegible]

मंगलायतन विश्वविद्यालय, रिछाई, ग्राम बरेला, जबलपुर को नवीन पाठ्यक्रमों के संचालन की अनुमति बावत्

3. मानक परिषदों से पाठ्यक्रम की रैंकिंग/मूल्यांकन आवश्यक रूप से प्राप्त करना होगा।
4. अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा जारी मान्यता आदेश का नवीनीकरण कराना अनिवार्य होगा।
5. म.प्र. नि.वि.वि.वि. आयोग के द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों का पालन सुनिश्चित करना होगा।
7. यू.जी.सी. के प्रावधानानुसार पाठ्यक्रमों में प्रवेशित विद्यार्थियों का डिप्लोमा/डिग्री एवं अन्य शैक्षणिक प्रमाण–पत्रों का डिजिटल रिकार्ड (एन.ए.डी.) संधारित करना होगा।
8. पाठ्यक्रम के संचालन में किसी प्रकार की अनियमितता पाये जाने पर एवं भविष्य में निरीक्षण के दौरान किसी प्रकार की गंभीर न्यूनता पाये जाने पर नियमानुसार अनुमति निरस्त की जावेगी।

(चेयरमेन,म.प्र.नि.वि.वि. आयोग द्वारा अनुमोदित)

(डॉ.के.पी.साहू)
सचिव
म.प्र.नि.वि.वि. आयोग भोपाल

पृष्ठांकन.........../ म.प्र.नि.वि.वि. आयोग/स्थापना/भोपाल

दिनांक

प्रतिलिपि–

1. कुलसचिव **मंगलायतन विश्वविद्यालय, रिछाई, ग्राम बरेला, जबलपुर** की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. अध्यक्ष, म.प्र.नि.वि.वि. आयोग की ओर सूचनार्थ।
3. प्रभारी आई.टी.प्रकोष्ठ म.प्र.नि.वि.वि. आयोग की ओर सूचनार्थ।
4. प्रभारी छात्रवृत्ति प्रकोष्ठ म.प्र.नि.वि.वि. आयोग की ओर सूचनार्थ।
5. प्रभारी शुल्क नियंत्रण प्रकोष्ठ म.प्र.नि.वि.वि. आयोग की ओर सूचनार्थ।
6. मूल नस्ती।

सचिव
म.प्र.नि.वि.वि. आयोग भोपाल

म.प्र. निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग, भोपाल

मध्यप्रदेश शासन

M.P. PRIVATE UNIVERSITY REGULATORY COMMISSION, BHOPAL

Government of Madhya Pradesh

क्र. 880/म.प्र.नि.वि.वि.वि.आ.भोपाल/अकादमिक–1/2023 दिनांक 26/7/23

//आदेश//

आयोग के आदेश कमांक 120/म.प्र.नि.वि.वि.आयोग/स्थापना/भोपाल दिनांक20.01.2021, आदेश कमांक 1370/म.प्र.नि.वि.वि.आयोग/स्थापना/भोपाल दिनांक 26.07.2021 एवं आदेश कमांक 1536/म.प्र.नि.वि.वि. आयोग/स्थापना/भोपाल दिनांक 07.09.2021 के द्वारा मध्य प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम 2007 यथासंशोधित 2013 एवं 2016 धारा 9 (ख) में विनिर्दिष्ट प्रावधानों के अंतर्गत पाठ्यक्रम संचालन की अनुमति स्वीकृत सीट संख्या के साथ प्रदान की गई थी।

मध्य प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम 2007 यथासंशोधित 2013 एवं 2016 धारा 9 (ख) में विनिर्दिष्ट प्रावधानों के अंतर्गत मंगलायतन विश्वविद्यालय, जबलपुर के मुख्य परिसर में स्थित शैक्षणिक विभागों में पूर्व से संचालित पाठ्यकमों में प्रस्तावित सीट संख्या को कम कर, सत्र 2023–24 से संचालित करने हेतु उपरोक्त सीटों को उनके नाम के सम्मुख स्वीकृति प्रदान करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया था।

विश्वविद्यालय द्वारा संचालित पाठ्यक्रमों में स्वीकृत सीट संख्या में कमी करने संबंधी आवेदन को मान्य करते हुये निम्नलिखित पाठयकमों को उनके नाम के सम्मुख दर्शित सीट संख्या अनुसार आगामी शैक्षणिक सत्र 2023–24 से संचालन करने की अनुमति निम्न शर्तों के अध्यधीन प्रदान की जाती है।

Sr. No	Name of Course	Ordinance No.	Curreant Intake	Modification Intake	Proposed Intake
1	B.Sc. (H) IT	**67**	180	-120	**60**
2	M.Sc. IT	**18**	90	-50	**40**
3	BBA	**19**	240	0	**240**
4	MBA	**20**	180	0	**180**
5	PGDBM (2 Years)	**21**	120	-120	**0**
6	Diploma in Hospital Management	**59**	90	-90	**0**
7	Diploma in Disaster Management	**59**	90	-90	**0**
8	Diploma in Hotel Management & Catering Technology (DHMCT)	**24**	90	-90	**0**
9	B.Com. (H)	**22**	240	-120	**120**
10	M.Com.	**23**	120	-60	**60**
11	BA (Economics, English, Sociology, Psychology, Political Science)	**31**	100	0	**100**
12	BA (H) (Economics, English, Sociology, Psychology, Political Science)	**61**	300	0	**300**
13	MA (Economics, English, Sociology, Psychology, Political Science)	**32**	300	0	**300**
14	B.Sc. (H) Agriculture	**39**	240	0	**240**
15	B.Sc. (H) Horticulture	**62**	120	0	**120**
16	B.Sc. (H) Forestry	**63**	120	0	**120**
17	M.Sc. Agriculture (Agronomy)	**40**	120	-120	**0**

निरंतर...2

कार्यालय: ज्ञान वाटिका, वाल्मी रोड, कलियासोत डेम के सामने भोपाल – 462016 (म.प्र.) ई-मेल : Sec.mppurc@gmail.com वेबसाईट : mprvva.in, फोन 0755-2490322
Office : Gyan Vatika, Walmi Road, Opposite Kaliyasot Dam, Bhopal - 462016 (M.P.) Email: Sec.mppurc@gmail.com, Website : mprvva.in, Phone : 0755-2490322

Sr. No	Name of Course	Ordinance No.	Curreant Intake	Modification Intake	Proposed Intake
18	M.Sc. (Extension, Education & Community Development)	**40**	60	-60	**0**
19	M.Sc. Horticulture	**64**	60	-40	**20**
20	M.Sc. Agriculture	**40**	60	-20	**40**
21	PG Diploma in Agriculture	**60**	240	-240	**0**
22	Diploma in Agriculture Science	**57**	240	-180	**60**
1	Bachelor of Computer Applications (BCA)	**16**	40	0	**40**
2	Master of Computer Applications (MCA)	**17**	40	0	**40**
3	Master of Computer Applications- Lateral Entry (MCA-LE)	**17**	40	-40	**0**
4	M.Sc. Agriculture (Agricultural Economics)	**40**	20	-20	**0**
5	M.Sc. Agriculture (Agribusiness)	**40**	20	-20	**0**
6	M.Sc. Agriculture (Entomology)	**40**	20	-20	**0**
7	M.Sc. Agriculture (Genetics & Plant Breeding)	**40**	20	-20	**0**
8	M.Sc. Agriculture (Agriculture Microbiology)	**40**	20	-20	**0**
9	M.Sc. Agriculture (Soil Science and Agriculture Chemistry)	**40**	20	-20	**0**
10	M.Sc. Agriculture (Plant Pathology)	**40**	20	-20	**0**
11	M.Sc. Ag. (Horticulture- Fuit Science)	**64**	20	-20	**0**
12	M.Sc. Ag. (Horticulture- Floriculture)	**64**	20	-20	**0**
13	M.Sc. Ag. (Horticulture-Vegetable Science)	**64**	20	-20	**0**
14	M.Sc. Forestry (Agro-forestry)	**65**	20	-10	**10**
15	M.Sc. Forestry (Medicinal and Aromatic Technology)	**65**	20	-10	**10**
16	M.Sc. Forestry (Mushroom Technology)	**65**	20	-10	**10**
1	B.A.LL.B.(H)	**29**	120	0	**120**
2	B.Com.LL.B. (H)	**29**	120	0	**120**
3	LL.B. (H)	**28**	120	0	**120**
4	LL.M.(Academic)	**66**	120	0	**120**
1	B.Sc. Forensic Science	**15**	120	0	**120**
2	M.Sc. Forensic Science	**18**	20	0	**20**
3	LL.M.(Professional) 1 Year	**30**	120	0	**120**
Total Intake		All Intake	**4520**	**-1670**	**2850**

शर्ते :-

1. उपरोक्त पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु यू.जी.सी. एवं संबन्धित विनियामक परिषदों के मापण्डों के अनुसार शैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति सुनिश्चित की जाना अनिवार्य होगा।

निरंतर..3

2. उपरोक्त पाठ्यक्रमों में विद्यार्थियों के प्रवेश संबन्धित विनियामक परिषदों की गाईडलाईन एवं अनुमति के अनुसार दिये जायेगें।
3. उपरोक्त पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु यू.जी.सी. एवं संबन्धित विनियामक परिषदों के मापण्दडों के अनुसार शैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति सुनिश्चित की जाना अनिवार्य होगा।
4. उपरोक्त पाठ्यक्रमों में विद्यार्थियों के प्रवेश संबन्धित विनियामक परिषदों की गाईडलाईन एवं अनुमति के अनुसार दिये जायेगें।
5. यू.जी.सी. के द्वारा निर्धारित मार्ग दर्शिका के अनुसार सीट संख्या के अनुपात में पर्याप्त संख्या में अहर्ताधारी शिक्षकों की नियुक्ति की जाना सुनिश्चित किया जाए एवं नियुक्त शिक्षकों का सम्पूर्ण विवरण विश्वविद्यालय की वेबसाईट एवं आयोग के पोर्टल पर अपलोड करना होगा।
6. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित की गई गाईड लाईन/मापदण्डों का पालन सुनिश्चित किया जाना अनिवार्य होगा।
7. विश्वविद्यालय को उच्च शिक्षा विभाग, म.प्र. शासन एवं म.प्र.नि.वि.वि.वि. आयोग के द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों का पालन सुनिश्चित करना होगा।
8. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नई दिल्ली से निरीक्षण करना अनिवार्य होगा तथा नैक प्रत्यायन एवं मूल्यांकन अनिवार्यतः कराना होगा।
9. यू.जी.सी. के प्रावधानानुसार पाठ्यक्रमों में प्रवेशित विद्यार्थियों का डिप्लोमा, डिग्री एवं अन्य शैक्षणिक प्रमाण पत्रों का डिजिटल रिकार्ड (एन.ए.डी.) संधारित करना होगा।
10. पाठ्यक्रमों के संचालन में किसी प्रकार की अनियमितता पाये जाने पर एवं निरीक्षण के दौरान किसी प्रकार की गंभीरन्यूनता पाये जाने पर नियमानुसार अनुमति निरस्त की जावेगी।

(मा. अध्यक्ष महो. द्वारा अनुमोदित)

26/4/2023

(डॉ. के.पी. साहू)
सचिव
म०प्र०नि०वि०वि०वि०आयोग, भोपाल
दिनांक /04/2022

पृष्ठांकन_____/ म.प्र.नि.वि.वि.वि.आ.भोपाल/अकादमिक–1/2023
प्रतिलिपि–

1. निज सहायक के माध्यम से मा. अध्यक्ष महो. म.प्र.नि.वि.वि.वि.आयोग को सूचनार्थ।
2. कुलसचिव, मंगलायतन विश्वविद्यालय, जबलपुर (म.प्र.)।
3. प्रभारी आई.टी. प्रकोष्ठ, म.प्र. नि.वि.वि.वि.आयोग की ओर सूचनार्थ।
4. प्रभारी छात्रवृत्ति प्रकोष्ठ, म.प्र. नि.वि.वि.वि.आयोग की ओर सूचनार्थ।
5. प्रभारी शुल्कनियतन प्रकोष्ठ, म.प्र. नि.वि.वि.वि.आयोग की ओर सूचनार्थ।
6. मूलनस्ती।

सचिव
म०प्र०नि०वि०वि०वि०आयोग, भोपाल